प्रारूप–19

(नियम 27 का उपनियम (1))

समुचित सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सरकार

विभाग का नाम–अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–3, अमरोहा।

अधिसूचना संख्या 24

दिनांक 03-4-2021

अधिसूचना

अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–3 अमरोहा के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण परियोजना हेतु जिला बिजनौर तहसील चान्दपुर परगना बांस्टा ग्राम अकौन्धा में स्थित **3.5055** हैक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1140 दिनांक 23.12.2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 16.01.2021 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा(2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा–19 (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
बिजनौर	चान्दपुर	बास्टा	अकौन्धा	197	1.3140
				198	1.4090
				216	0.0675
				221	0.6670
				222	0.0480
		कुल योग			**3.5055 है0**

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा **जिला बिजनौर** के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से
31.3.21

जिला कलैक्टर

बिजनौर।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा(2) के अन्तर्गत)

मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–3 अमरोहा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना की मुख्य नहर निर्माण परियोजना हेतु जिला **बिजनौर** तहसील **चान्दपुर** परगना **बास्टा** ग्राम **अकौन्धा** में स्थित **3.5055** हैक्टेयर भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या **1140** दिनांक **23.12.2020** के कम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है।

आज्ञा से
31.3.21

जिला कलैक्टर

बिजनौर।